राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2017/388 दिनांक : 06/12/17

आदेश

श्री हेमेन्द्र सिंह पुत्र श्री भालसिंह, पता–ठाकुर पाडा, गोवर्धन गेट पुरानी डीग तहसील डीग जिला भरतपुर (राज0) ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रिट पिटिशियन संख्या 11646/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.03.17 की पालना में दिनांक 14.03.17 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंक जोडते हुये प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.17 निम्न प्रकार हैः–

" The prayer in the present writ petition is for issuance of direction to the respondents to treat the experience gained by the petitioners on their respective posts as admissible for the purpose of awarding bonus marks on the basis of length of service and accordingly, allow them to participate in the further selection process with a further prayer to afford them appointment on the post of Lab Assistant with all consequential benefits.

Learned counsel for the parties agree that the controversy involved in the present writ petition is squarely covered by the ratio of judgment rendered by the Jaipur Bench of this Court in the case of Dharmendra Kumar Tailor Vs. State of Rajasthan and others (S.B. Civil Writ Petition No. 15809/2015) decided on 04.11.2016

In view of the above admitted positron, the present writ petition is also allowed in the same terms as Dharmendra Kumar Tailor (Supra)."

श्री हेमेन्द्र सिंह पुत्र श्री भाल सिंह ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में ओ.बी.सी वर्ग में (आई डी.न. 17120001738) आवेदन किया है! जिसके साथ संलग्न जाति प्रमाण–पत्र कमांक 1532 दिनांक 08.07.13 में याचिकाकर्ता को भरतपुर जाट (ओ.बी.सी) वर्ग का सदस्य दर्शाया गया है। भरतपुर/धौलपुर जिले के जाट वर्ग को ओ.बी.सी वर्ग को माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 के द्वारा ओ.बी.सी वर्ग का नही माना है, जिसकी पालना में याचिकाकर्ता को भरतपुर जाट वर्ग का सदस्य होने के कारण इन्हे अनारक्षित वर्ग में माना गया है। अभ्यर्थी/याचिकाकर्ता ने पब्लिक हैल्थ एण्ड मेडिकल टेक्नोलोजी ऑफ इंडिया, दिल्ली से जारी सर्टिफिकेट मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नीशियन. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नही होने के कारण चयन समिति ने मान्य नही किया है। याचि/अभ्यर्थी का सैकण्डरी प्राप्तांक 49.17 प्रतिशत है, जिसका 85 प्रतिशत वेटेज 41.79 प्रतिशत होता है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 की पालना में याचि/अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर से जारी दिनांक 01.12.2010 से दिनांक 30.06.2013 तक कुल कार्यावधि 2 वर्ष 6 माह 4 दिन लैब अटेन्डेन्ट पद के अनुभव को स्वीकार करने के फलस्वरूप 1 वर्ष का अनुभव तकनीकी योग्यता में सम्मिलित करने पर शेष अनुभव अवधि के 5 प्रतिशत देय बोनस अंक को जोडते हुये अभ्यर्थी/याचि की कुल औसत प्राप्तांक 46.79 प्रतिशत होती है, जबकि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में जारी प्रतीक्षा सूची से जारी चयन सूची मय पदस्थापन दिनांक 27.04.2016 में अनारक्षित वर्ग की अन्तिम कटऑफ 48.69 प्रतिशत रही है। जोकि याचि/अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 46.79 प्रतिशत से अधिक है, फलस्वरूप याचिकाकर्ता श्री हेमेन्द्र सिंह पुत्र श्री भाल सिंह चयन सूचि में अपना स्थान बनाने में असफल रहे है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 की पालना में याचि/अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2017/388 दिनांक : 06/12/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
3. श्री के.एल. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधुपर।
5. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वा0) जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. श्री हेमेन्द्र सिंह पुत्र श्री भालसिंह पता–ठाकुर पाडा, गोवर्धन गेट पुरानी डीग तहसील डीग जिला भरतपुर (राज0)) (रजिस्टर्ड)
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।